प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2026*

विषय:- केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0) कारागार के पत्र संख्या-22148/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20.05.2026, दिनांक 09.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, ग्राम- शंकरपुर झिसनी, थाना-थानगांव, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद एवं पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 16/17.11.2006 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर धनदेवी, कमली, अंग्रेज, छोटू व रूचि की (05 लोगों की हत्या) कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु **1-** बन्दी को एसटीनं0- 271/2007 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 449 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), सीतापुर के दण्डादेश दिनांक 23.02.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में बन्दी की अपील लम्बित है। **2-** पुलिस अधीक्षक, सीतापुर के अनुसार अन्य वाद मु०अ०सं०-190/2006, धारा-302, 504, 506 आईपीसी पंजीकृत है। बंदी द्वारा दिनांक 08.01.2026 तक अपरिहार 17 वर्ष, 05 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 01 माह, 20 दिन की सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी की 56 वर्ष की आयु एवं स्वास्थ्य की दशा संतोषजनक होने, बन्दी द्वारा कारित जघन्य अपराध एवं प्रकृति (सामूहिक नरसंहार में 05 लोगों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुनील (बन्दी संख्या-52653) पुत्र श्री जालिपा प्रसाद, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1417/2026/1173(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ को योजित किमिनल, मिस रिट पिटीशन सं0-5041/2025 सुनील तिवारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2025 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।